झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–579 वर्ष 2017

तेजनारायण मुर्मू, पे0–स्वर्गीय साहेब राम मुर्मू, निवासी ग्राम–गंगटाखुर्द, जहेरथान के समीप, डाकघर–गोड्डा, थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा, झारखंड .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड
3. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड
4. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड
5. उपायुक्त, गोड्डा, डाकघर–गोड्डा, थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा, झारखंड
6. जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा, डाकघर–गोड्डा, थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा, झारखंड

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री जे0जे0 सांगा, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री सुनील सिंह, एस0सी0 (खान) के जे0सी0

4 / 01.03.2017 याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दिनांक 03.11.2016 के आदेश में निर्धारण गलत हो सकता है, तत्काल रिट–याचिका इस कारण दायर किया गया है। दिनांक

6.02.2017 के एक आदेश द्वारा, प्रतिवादी नंबर 6 को उपरोक्त आदेश की शुद्धता देखने के लिए निर्देशित किया गया था। अब, प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें पैराग्राफ संख्या 20 में कहा गया है कि दिनांक 03.11.2016 का आदेश बिल्कुल सही है। वास्तव में, यह और भी आगे जाता है। याचिकाकर्ता के पत्र दिनांक 05.12.2016 के द्वारा उठाई आपत्तियों को प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा दिनांक 22.02.2017 को पारित एक युक्तियुक्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी नंबर 6 के स्पष्ट रूख के मद्देनजर, यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में यदि विभाग द्वारा दिनांक 03.11.2016 के आदेश में कोई त्रुटि/गलती पाया जाता है, तो याचिकाकर्ता को एक निचले पद पर वापस नहीं किया जाएगा और उससे कोई वसूली नहीं की जाएगी, बल्कि राशि, यदि कोई हो, काकनूनी रूप से देय राशि से अधिक का भुगतान किया गया है, तो प्रतिवादी नंबर 6 से उसे वसूल किया जाएगा, यदि वह सेवा में है, और यदि सेवानिवृतहो गया है, तो झारखंड पेंशन नियमों के तहत कार्यवाही के बिना उक्त राशि उसके पेंशन लाभ से वसूल की जाएगी।

3. रिट–याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)